रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227823
SG-DL-E-23062021-227823

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]	दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 58
No. 170]	DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943	[N. C. T. D. No. 58

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2021

फा.स. 532/टी.ओ.(एस.)/टी. सी.-फेलिंग/2019-20/1303-11.— दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में प्रॉपर्टी संख्या बी-319, ओखला फेज- I, नई दिल्ली में समूह आवास के निर्माण हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.0877 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रॉपर्टी संख्या बी319-, ओखला फेज -I, नई दिल्ली में समूह आवास	32	8	40	400+ 80 (अतिरिक्त वृक्षारोपण)

के निर्माण gsrw A				
Total	**32**	**8**	**40**	**480**

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :-

1. गोदरेज वेस्टमार्क एलएलपी, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 27,36,000 /- रूपये (सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (40 वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 7250 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का प्रस्तावित परियोजना स्थल पर अर्थात संपत्ति संख्या बी-319, ओखला फेज- I नई दिल्ली पर किया जाएगा ।	480	27,36,000 /-	उप– वन संरक्षक (दक्षिण) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 32 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, ऊपर दी गई तालिका में बताया गए स्थान पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 400 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी । इसी प्रकार वन विभाग द्वारा उपभोगी संस्था द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि का उपयोग करते हुए वन विभाग द्वारा अनुशंसित 80 पौधों का रखरखाव किया जाएगा ।

3. 40 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 400 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण/ उपभोगी संस्था द्वारा अगले सात वर्षो तक रखरखाव स्वय की लागत पर करेंगी । पौधों के खराब रखरखाव या पौधों के नुकसान या हानि के मामले में गोदरेज वेस्टमार्क एलएलपी ही जिम्मेदार होगी ।

4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

6. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

7. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

8. वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

9. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा ।

10. उपभोगी संस्था द्वारा 40 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत एक अपराध होगा ।

11. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को भी दी जाएगी।
13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
14. उपभोगी संस्था द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2021

F.No.532/TO(S)/TC/Felling/2019-20/ 1303-11.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.0877 ha. as detailed below for construction of Group Housing at Property No. B-319, Okhla Phase-I, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
	Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Construction of Group Housing at Property No. B-319, Okhla Phase-I, New Delhi	32	8	40	400+ 80 (additional plantation)
Total	**32**	**8**	**40**	**480**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Godrej Vestmark LLP, herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 27,36,000 /- (Twenty Seven Lakh Thirty Six Thousand only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

SN	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplant of 40 trees i.e., number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun	480	27,36,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer

	along with other native species shall be carried out by the User Agency at proposed project site, i.e., Property No. B-319, Okhla Phase-I New Delhi.			
(b)	Transplantation of 32 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the location as mentioned above.			

2. 100% Compensatory Plantation of 400 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above. Similarly 80 saplings recommended by Tree Officer shall be maintained by Forest Department by utilizing proportionate amount of security deposit made by user agency.
3. Plants saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 40 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out thereafter, by user agency with their own funds. In case of poor maintenance or causality of plants User Agency shall be responsible.
4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
6. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
7. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
8. Permission for transplantation/ felling of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
9. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
10. Transplantation/ felling of any tree apart from 40 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
11. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
12. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.
13. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.
14. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon’ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.23 21:04:33 +05'30'